HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 939/2026

Manoj Kumar Meena S/o Ramesh Chand, R/o Plot No. 721/d, Sunder Nagar, Rangpur, Kota.

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Suresh Gurjar, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

23/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, पुलिस थाना सांगानेर सदर, जयपुर शहर (दक्षिण) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 671/2025 अपराध अंतर्गत धारा 115(2), 126(2), 74 भारतीय न्याय संहिता में गिरफ्तारी की आशंका के फलस्वरूप अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है, प्रार्थी/अभियुक्त ने परिवादिया की दुकान पर रूक कर चाय पी और परिवादिया द्वारा रूपये ऐंठने की वजह से यह झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त कोटा का रहने वाला है और वाटिका में घटना की रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त के भागने या फरार होने का अंदेशा

नही है, वह अनुसंधान में सहयोग करने को तैयार व तत्पर है, अकारण गिरफ्तार किया गया तो उसके विधिक अधिकारों का हनन होगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जावे।

मैंने उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में घटना की रिपोर्ट में परिवादिया के साथ घटना कारित करने में प्रार्थी/अभियुक्त का नाम विनिर्दिष्ट रूप से बताया गया है। घटना की रिपोर्ट में बताया गया है कि जब परिवादिया खेत में फ्रेश होने के लिए गयी, तब प्रार्थी/अभियुक्त ने उसके साथ छेड़छाड़ करके मारपीट की, गला दबाया, पेट पर लात मारी और धमकी देकर भाग गया। पीड़िता के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के बयानों में भी पीड़िता ने प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उसका फोन छीनने, उसे धक्का देकर कांटों में गिरा देने, हाथ से पेट में मारने और चिल्लाने पर पेट्रोल पम्प वालों द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को पकड़ने के तथ्य बताये हैं। पुलिस ने अनुसंधान में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 115(2), 126(2), 74 बी.एन.एस.एस. का अपराध प्रमाणित पाया है। प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया हो या वह अपराध कारित करने में अंतर्वलित नही रहा हो, यह इस स्तर पर प्रथम दृष्टया स्पष्ट नही है। अनुसंधान अधिकारी ने अब तक के अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाया है, प्रकरण में अनुसंधान किया जाना शेष है। यदि प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया तो प्रकरण का अनुसंधान विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना है।

अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपों की गंभीरता, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **मनोज कुमार मीना पुत्र रमेश चंद** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI /171